



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, अजमेर - 305004

ई-मेल: rieajmer@yahoo.com

वेबसाइट: www.rieajmer.ac.in

पेंशन अदालत 2019

सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली 1972 के अधीन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर के पेंशन धारकों एवं पारिवारिक पेंशन धारकों के ध्यानार्थ।

- दिनांक 23.08.2019 (शुक्रवार) को प्रातः 11 बजे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर के सभागार में पेंशन धारकों एवं पारिवारिक पेंशन धारकों की शिकायतों के विचाराधीन पेंशन अदालत-2019 लगाई जाएगी।
- अदालत में पेंशन धारकों एवं पारिवारिक पेंशन धारकों के लाभ संबंधी शिकायतों पर (कानूनी तथा नीतिगत संबंधित मामलों एवं न्यायलयाधीन मामलों को छोड़ कर) विचार किया जायेगा। जो शिकायतें पहले ही हल कर ली गई हैं / हल निकाला जा चुका है, उन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- यदि कोई शिकायत है तो निर्धारित प्रपत्र (उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध) में भरकर लेखाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर को उपर्युक्त पते / ई-मेल पर भेज सकते हैं। उक्त शिकायत प्रपत्र दिनांक 20.08.2019 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया शिकायत प्रपत्र वाले लिफाफे / ई-मेल पर "पेंशन अदालत-2019" लिखें।

प्रशासनिक अधिकारी
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर



फोन: 0145-2643671/2644630/2643721
फैक्स: 0145-2643862

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, अजमेर - 305004

ई-मेल: rieajmer@yahoo.com
वेबसाइट: www.rieajmer.ac.in

पेंशन अदालत 2019

शिकायत पंजीकरण प्रपत्र

- 1.पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक शिकायतकर्ता का नाम:-
- 2.शिकायतकर्ता का आधार नं:-
- 3.शिकायतकर्ता का पैन नं:-
- 4.पत्राचार हेतु पता:-
- 5.दूरभाष/मोबाइल संख्या:-
- 6.ई-मेल आई.डी.:-
- 7.सेवानिवृति की तिथि:-
- 8.सेवानिवृति की तिथि पर पदनाम:-
- 9.पी.पी.ओ. नं. एवं दिनांक:-
- 10.बैंक का विवरण (जहाँ से पेंशन ली जा रही है):-
 - अ. बैंक का नाम:-
 - ब. खाता संख्या:-
 - स. आई.एफ.एस. कोड:-
- 11.शिकायत का विवरण:-
(अतिरिक्त पृष्ठ लगायें, यदि आवश्यक हो तो)
12. यदि पूर्व में शिकायत की गई है तो विवरण संलग्न करें।

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
पेंशनधारक/पारिवारिक पेंशनधारक